

प्रेषक,

पी०एन० त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 21 मई, 2012

विषय:- यूनिक इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूल, मोदीनगर, गाजियाबाद को जारी अनापत्ति पत्र में स्थान परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा संदर्भित विद्यालय को जारी अनापत्ति पत्र में सी०वी०ए०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु संशोधित करते हुए यूनिक इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूल, मुरादनगर, गाजियाबाद कर दिया गया है।

2- शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध पूर्व में जारी अनापत्ति पत्र के अनुसार ही रहेगी।

भवदीय
Impathi
(पी०एन० त्रिपाठी)
अनु सचिव।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- प्रबन्धक, यूनिक इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूल, मुरादनगर, गाजियाबाद।
- 6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(पी०एन० त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Akanksh
Manager
Unique International Public School
MURADNAGAR

U
Principal
Unique International Public School
Murad nagar (GZR.)

प्रेमक,

श्री ५००००००
श्री ५००००००
श्री ५००००००

सेवा में,

श्री ५००००००
श्री ५००००००
श्री ५००००००

शिक्षा १७१ अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: २६ मई, २००५

विषय:-

श्री ५०००००० परीक्षा स्कूल बोर्डोवर, नारियलवाड़ा ओ सी०सी०एन०सी० के संबन्धता हेतु अपारिचित प्रमाण पत्र दिनांक १६ मई २००५

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कठिन का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को **सी०सी०एन०सी०** नईदिल्ली से संबन्धता हेतु अपारिचित प्रमाण पत्र दिने जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन अपारिचित नहीं है:-

- १-११ विद्यालय की पंजीकृत सौतापटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- १-२१ विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- १-३१ विद्यालय में कम से कम १० प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे ३०प्र० भा० शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- १-४१ संस्था द्वारा राज्य सरकार से बिस्ती अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बासक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इका मिनेश नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबन्धता प्राप्त होने की तिथि से ३०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्यसरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे ।